तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/11/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र श्यामलाल की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम मण्डाना में नामान्तरण संख्या 58 आंवटन द्वारा खाते में दर्ज खसरा सं0 397 रकबा 2.69 है0 भूमि का नवीन खसरा नं0 विभाजन द्वारा 1765/397 रकबा 0.65 है0 किया गया था। उक्त खसरे की तरमीम राजस्व नक्शे में नामान्तरण सं0 58 दिनांक 15.05.1989 के पुस्त पर अंकित नजरी नक्शे एवं मौके स्थिति अनुसार नहीं की गई है। खसरा सं0 397 एवं प्रार्थी के खसरा नं0 1765/396 की तरमीम संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी थी। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नंबर की तरमीम अन्य दिशा में दर्ज हो गयी है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम मण्डाना के खसरा नं0 1765/397 रकबा 0.65 है0 भूमि वादी ओमप्रकाश पुत्र श्यामलाल कौम रेबारी सा0 ढाणी मण्डाना के नाम खाते दर्ज रिकार्ड है। ग्राम मण्डाना के नामा0 सं0 58 दिनांक 19.05.1989 का अवलोकन किया गया। नामा0 सं0 58 के पृष्ट पर अंकित नजरी नक्शे एवं हाल राजस्व नक्शे में अंकित तरमीम में भिन्नता है। नामा0 सं0 58 की पुस्त पर अंकित नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे में अंकित खसरा 397(सिवायचक) के स्थान पर होना प्रमाणित है। ग्राम मण्डाना के खसरा नं0 397 एवं खसरा नं0 1765/397 का नामा0 सं0 58 अनुसार वर्तमान नक्शा तथा आनलाईन नक्शे में दुरूस्ती करना उचित है। राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। धारा 136 में कथन है कि भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गललियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे। चुकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टी है कि ग्राम मण्डाना के खसरा नं0 397 एवं 1765/397 में नामा0 सं0 58 के पृष्ट पर अंकित नजरी नक्शे एवं हाल राजस्व नक्शे में अंकित तरमीम में भिन्नता है। अतः पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम मण्डाना के खसरा नं0 397 एवं 1765/397 की तरमीम पुस्त पर अंकित नक्शे अनुसार करने के आदेश दिए जाते है। तहसील रिपोर्ट में अंकित नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 24/11/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	